



संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भाषा किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास तथा भाव-संप्रेषण का प्रमुख आधार होती है। सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़े रखने के उद्देश्य से, संविधान सभा ने एकमत से देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर, 1949 को मान्यता दी।

हिंदी भारत के एक बड़े जन समुदाय द्वारा बोली एवं समझी जाती है तथा एक अत्यंत सरल, समृद्ध एवं सशक्त भाषा है। भारत की राजभाषा होने के नाते हिंदी हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है। हिंदी को भारत की अनुपम सामासिक संस्कृति और उदात्त साहित्य की वाहिनी होने का गौरव प्राप्त है।

जहां तक औषध विभाग का संबंध है, इसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमें अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। मैं इस विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से यह आग्रह करता हूं कि वे अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करें जिससे उनके सहयोगी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी हिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिले।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। इस प्रयास में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिंद


(डॉ. अरुणीश चावला)